भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 17

Phone : 2661263,2737446 **Fax:** 2661263 **Website**:bsgmp.net **E_mail**:scoutguide_bpl@dataone.in

क्र./.5115/रा.प./निर्वा./2015 भोपाल, दिनांक 14.12.2015

प्रति,

अधिसूचना

समस्त राज्य परिषद सदस्य,
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
राज्य संघ ।

यह अधिसूचना आज दिनांक 14 दिसम्बर–2015 को स्थान राज्य मुख्यालय भोपाल में प्रकाशित की जा रही है जो कि ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक (30 नवम्बर 2014 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद में अनुमोदित) चेप्टर III की धारा 37 से 70 एवं राज्य संघ मध्यप्रदेश के उप नियम (राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक डी–3–17/2562/97–98 दिनांक 03.10.1997को माननीय नेशनल कमिश्नर द्वारा अनुमोदित हैं) की धारा 01 से 55 के अनुसार है नवीन राज्य परिषद के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का **निर्वाचन दिनांक 23.01.2016 दिन शनिवार को प्रातः 11 बजे से 03 बजे तक** राज्य परिषद की बैठक में राज्य मुख्यालय भोपाल में होगा इस हेतु नियमानुसार राज्य कार्यकारिणी एवं अध्यक्ष राज्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त है साथ ही संचालक, राष्ट्रीय मुख्यालय, भारत स्काउट एवं गाइड नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/डी–5–18/3288/2015–16, दिनांक 09.12.2015 द्वारा भी राज्य परिषद् निर्वाचन की अनुमति प्राप्त है।

निर्वाचन किये जाने वाले पद का नाम, उनकी संख्या, योग्यता, प्रस्तावक समर्थक व मतदाता का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्र.	पद नाम	पद संख्या	योग्यता	प्रस्तावक एवं समर्थक	मतदाता
1	अध्यक्ष	एक	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक धारा 50 के अनुसार भारत का नागरिक हो एवं मध्यप्रदेश राज्य का निवासी जो संस्था के उद्देश्यों एवं नीतियों में आस्था रखता हो तथा म. प्र. उपनियम की धारा 28 के अंतर्गत अध्यक्ष पद की योग्यता रखता हो।	राज्य परिषद के नियमित सदस्य	राज्य परिषद के नियमित सदस्य
2	उपाध्यक्ष	अधिकतम छह, तीन से अधिक होने पर कम से कम 03 महिलायें यदि महिला का नामांकन प्राप्त नही होता है तो पुरूष किया जा सकता है	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक की धारा 51 के अनुसार भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य संघ का सदस्य एवं संस्था के उद्देश्यो एवं नीतियों में आस्था रखता हो तथा धारा 29 के अंतर्गत उपाध्यक्ष पद की योग्यता रखता हो।	राज्य परिषद सदस्य हो	राज्य परिषद के नियमित सदस्य
3	स्टेट चीफ कमिश्नर	एक	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक की धारा 52 के अनुसार भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य परिषद	राज्य परिषद के नियमित सदस्य	राज्य परिषद के नियमित सदस्य

			का सदस्य हो एवं म.प्र. उपनियम <u>की धारा 30 ''ब'' के अन्तर्गत राज्य मुख्य आयुक्त पद हेतु योग्यता रखता हो।</u>		
4	वित्त समिति	चार	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक की धारा 64 के अनुसार भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य संघ के सदस्य, कम से कम 02 महिलाए आवश्यक है।	राज्य परिषद के नियमित सदस्य	राज्य परिषद के नियमित सदस्य
5	जिला मुख्य आयुक्त के प्रतिनिधि	दो	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक की धारा 65 (1) (बी) के अनुसार जिला मुख्य आयुक्त के पद पर नियुक्त हो और राज्य परिषद की संलग्न सूची में जिनका नाम हो।	संलग्न सूची में दर्शाये जिला मुख्य आयुक्त	संलग्न सूची में दर्शाये जिला मुख्य आयुक्त
6	जिला कमिश्नर (स्काउट) के प्रतिनिधि	दो	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक की धारा 65 (1) (बी) के अनुसार जिला कमिश्नर (स्काउट) के पद पर नियुक्त हो और संलग्न राज्य परिषद् की सूची में जिनका नाम हो।	संलग्न सूची में दर्शाये जिला कमिश्नर (स्काउट)	संलग्न सूची में दर्शाये जिला कमिश्नर (स्काउट)
7	जिला कमिश्नर (गाइड) के प्रतिनिधि	दो	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक की धारा 65 (1) (बी) के अनुसार जिला कमिश्नर (गाइड) के पद पर नियुक्त हो और संलग्न राज्य परिषद् की सूची में जिनका नाम हो।	संलग्न सूची में दर्शाये जिला कमिश्नर (गाइड)	संलग्न सूची में दर्शाये जिला कमिश्नर (गाइड)
8	आजीवन सदस्यों का प्रतिनिधि	एक	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक की धारा 65 (1) सी (I) के अनुसार राज्य परिषद में आजीवन सदस्य हो और संलग्न राज्य परिषद् की सूची में जिनका नाम हो।	संलग्न सूची में दर्शाये आजीवन सदस्य	संलग्न सूची में दर्शाये आजीवन सदस्य
9	साधारण सदस्यों का प्रतिनिधि	एक	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक की धारा 65 (1) सी (II) के अनुसार राज्य परिषद में साधारण सदस्य हो और संलग्न राज्य परिषद् की सूची में जिनका नाम हो।	संलग्न सूची में दर्शाये साधारण सदस्य	संलग्न सूची में दर्शाये साधारण सदस्य
10	लीडर ट्रेनर (स्काउट) का प्रतिनिधि	एक	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक की धारा 65 (1) सी (IV) के अनुसार लीडर ट्रेनर (स्काउट) हो और संलग्न राज्य परिषद् की सूची में	संलग्न सूची में दर्शाये लीडर ट्रेनर –स्काउट विभाग	संलग्न सूची में दर्शाये लीडर ट्रेनर –स्काउट विभाग

			जिनका नाम हो।		
11	लीडर ट्रेनर (गाइड) का प्रतिनिधि	एक	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक की धारा 65 (1) सी (IV) के अनुसार लीडर ट्रेनर (गाइड) हो और संलग्न सूची में जिनका नाम हो।	संलग्न सूची में दर्शाये लीडर ट्रेनर –गाइड विभाग	संलग्न सूची में दर्शाये लीडर ट्रेनर –गाइड विभाग
12	ग्रुप स्काउटर्स के प्रतिनिधि	दो	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक की धारा 65 (1) (डी) के अनुसार ग्रुप स्काउटर्स हों और संलग्न राज्य परिषद् की सूची में जिनका नाम हो।	संलग्न सूची में दर्शाये ग्रुप स्काउटर्स के रूप में राज्य परिषद में सदस्य	संलग्न सूची में दर्शाये ग्रुप स्काउटर्स के रूप में राज्य परिषद में सदस्य
13	ग्रुप गाइडर्स के प्रतिनिधि	दो	ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक की धारा 65 (1) (ई) के अनुसार ग्रुप गाइडर्स के रूप में राज्य परिषद के सदस्य हों और संलग्न सूची में जिनका नाम हो।	संलग्न सूची में दर्शाये ग्रुप गाइडर्स के रूप में राज्य परिषद में सदस्य	संलग्न सूची में दर्शाये ग्रुप गाइडर्स के रूप में राज्य परिषद में सदस्य

चुनाव का तिथिवार कार्यक्रम इस प्रकार है –

1. नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथ 08.01.16 शुक्रवार अपरान्ह 02:00 बजे तक।
2. नामांकन प्रपत्रो की जांच तिथि 09.01.16 शनिवार अपरान्ह 04:00 बजे तक।
3. वैध नामांकन प्रकाशित करने की तिथि 09.01.16 शनिवार 06:00 बजे तक।
4. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 15.01.16 शुक्रवार अपरान्ह 02:00 बजे तक।
5. नाम वापसी उपरांत अंतिम प्रकाशन तिथि –15.01.16 शुक्रवार सांय 06:00 बजे तक।
6. चुनाव यदि आवश्यक हुआ तो मतदान की तिथि व समय 11 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक दिनांक 23.01.16 दिन शनिवार को स्थान राज्य मुख्यालय भोपाल रहेगा तथा परिणाम मतदान समाप्ति के पश्चात् मतगणना कर घोषित कर दिये जावेंगे।
7. नामांकन पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर लिफाफे में रखकर भेजे जावे, खुला नामांकन पत्र स्वीकार नही होगा। नामांकन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से जिसमें लिफाफे के ऊपर **''नामांकन पत्र'' एवं जिस पद का प्रत्याशी है, स्पष्ट रूप से लिखकर भेजा जावे।** डाक में खोये या विलंब से प्राप्त हुए नामांकन पत्रों का दायित्व इस कार्यालय का नही होगा। लिफाफे को **निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय शांति मार्ग, श्यामला हिल्स भोपाल पिनकोड–462017 के नाम से भेजे।** व्यक्तिगत नामांकन पत्र का लिफाफा देने की स्थिति में रसीद प्राप्त करना स्वयं का उत्तरदायित्व होगा **नामांकन पत्र में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग, कांट–छांट एवं नामांकन पत्र में उल्लेखित निर्देशो का पालन न करने** तथा एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक का एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक एवं समर्थक होने पर सदस्यता क्रमांक गलत पाये जाने पर या अन्य गलती पाये जाने पर नामांकन निरस्त कर दिया जावेगा। प्रस्तावक, समर्थक एवं प्रत्याशी के हस्ताक्षर में संदेह होने पर निर्वाचन अधिकारी समक्ष में संबंधित को हस्ताक्षर करने हेतु अपनी संतुष्टि के लिए समक्ष में बुला सकता है। वैध नामांकन पत्र की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी एवं नाम वापसी के पश्चात् यदि प्रत्याशियों की संख्या घोषित संख्या के बराबर अथवा कम हुई तो प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा। निरस्त किये गये निर्वाचन कार्य पर अंतिम निर्णय निर्वाचन अधिकारी का होगा। उक्त निर्वाचन निर्वाचन तिथि से 05 वर्षो के लिए मान्य होगें।
8. निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में म.प्र. संस्था के उपनियमों के आधार पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा जो सभी को मान्य होगा।
9. राज्य मुख्य आयुक्तके पद हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले प्रत्याशियों के आवेदन ही मान्य किये जायेगें, प्रत्याशी को राज्य परिषद् का सदस्य होना आवश्यक है।

10 निर्वाचन में मतदान के पूर्व राज्य मुख्यालय से जारी परिचय–पत्र आवश्यक है जो निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य सचिव के द्वारा जारी हो अथवा निम्न में से कोई एक दस्तावेज (मूल प्रति) साथ लाकर मतदान कर सकते है :–

1. ड्राइविंग लायसेंस।
2. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र।
3. परमानेंट अकाउंट नम्बर (Pan card)
4. आधार कार्ड
5. पासपोर्ट
6. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार अन्य कोई परिचय पत्र

नोट– 1. दो थंब साईज फोटो अलग से अनिवार्यतः लावें।

इस हेतु जो परिचय पत्र राज्य मुख्यालय भोपाल से बनवाना चाहते है वह दो थम्ब साईज फोटो (जिसके पीछे अपना नाम एवं सूची का सरल क्रमांक अवश्य अंकित हो।) 21 जनवरी–2016 तक राज्य सचिव भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय , शांति मार्ग श्यामला हिल्स, भोपाल पिन कोड–462003 के नाम आवश्यक रूप से भेजे। परिचय पत्र के अभाव में मत नही दे सकेंगे। परिचय पत्र बनवाने की अंतिम तिथि **21 जनवरी–2016 सायंकाल 05:00 बजे तक** है। राज्य परिषद की अधिसूचना एवं राज्य परिषद के सदस्यों की सूची भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की वेबसाईट bsgmp.net पर भी देखी जा सकती है। निर्वाचन संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य मुख्यालय के बाह्य गेट पर चस्पा की जावेगी।

11. परिचय पत्र हेतु आप अपनी पासपोर्ट साइज की 02 फोटो दिनांक 21.01.2016 तक राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. राज्य मुख्यालय भोपाल के पते पर डाक से भिजवा सकते है या स्वयं कार्यालय में लेकर आ सकते है।

12. राज्य परिषद के पदाधिकारियों एवं राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव परिणामों की घोषणा के पश्चात् नवीन राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन निर्वाचित हुए स्टेट चीफ कमिश्नर की अध्यक्षता में किया जावेगा, जिसमें स्टेट ट्रेजरार (कोषाध्यक्ष) की नियुक्ति एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति नियमानुसार की जावेगी।

13. निर्वाचन के समय निर्वाचन में उम्मीदवारी की वापसी निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षर कर जमा करने पर ही मान्य की जावेगी, सादा पत्र पर आवेदन मान्य नही होगा वापसी का आवेदन प्रपत्र राज्य मुख्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

14. निर्वाचन के दौरान संलग्न आचार संहिता के दिये गये आचरण नियम (code of conduct) का पालन न करने पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन हेतु की गई उम्मीदवारी निरस्त करते हुए सदस्यता समाप्त करने का भी निर्णय लिया जा सकता है।

नोट :– नामांकन पत्र में सदस्यता क्रमांक के स्थान पर संलग्न राज्य परिषद् सूची का सरल क्रमांक ही अंकित करे सदस्यता सूची का क्रमांक मान्य नही होगा।

संलग्न –

1. राज्य परिषद के सदस्यों की सूची।
2. नामांकन पत्र।
3. निर्वाचन हेतु आचरण नियम (code of conduct)

(जी.आर. शर्मा)
निर्वाचन अधिकारी
एवं
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

पृ.क्र./.5116./रा.प./निर्वा./2015 भोपाल, दिनांक **14.12.2015**

प्रतिलिपि–

1. संचालक राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट एवं गाइड नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।

(जी.आर. शर्मा)
निर्वाचन अधिकारी
एवं
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.